निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प सांगावास द्वारा श्री के.आर. चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (आर.ए.एस) देवगढ़

प्रकरण संख्या –318/2016 प्रा.पत्र

निर्णय दिनांक – 25.05.2017

अनवान

1.श्री बाबुसिंह पिता पुरा जी रावत निवासी सांगावास तहसील देवगढ़

2.श्री हेमसिंह पिता उमसिंह रावत निवासी सांगावास तहसील देवगढ़

3.श्री पुनम सिंह पिता केशर सिंह रावत निवासी सांगावास तहसील देवगढ़

.....प्रार्थीगण

बनाम

1.श्री हजारी सिंह पिता सुल्तान सिंह रावत निवासी सांगावास तहसील देवगढ़

2. श्री त्रिलोक सिंह पिता लाल सिंह निवासी सांगावास तहसील देवगढ़

3.श्री मांगु सिंह पिता राम सिंह निवासी सांगावास तहसील देवगढ़

4.श्री पुनम सिंह पिता लालसिंह निवासी सांगावास तहसील देवगढ़

...विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 रा.ले.रे.एक्ट</u>

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी और कब्जे की कृशि भूमि मौजा ग्राम सांगावास अ पटवार हल्का सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की सीमा में होकर वाके है जो निम्न प्रकार है। खाता सं. 242 आ.न. 144/2 रकबा 0.13 एवं आ.न. 306 रकबा 1.00 कुल किता रकबा 1.13 बीघा स्थित है भूमि प्राथीगण की खातेदारी की होकर प्रार्थी गण इस पर कब्जे काश्त हो इसका उपयोग उपभोग कर रहे है।

प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि के चारो तरफ विपक्षी सं. 1 से 4 की भूमि है व उक्त भूमि प्रार्थीगण की भूमि से मिलती हुई है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडौसी है विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि से सीमा संबधी विवाद करते है प्राथीगण की उक्त वर्णित आराजीयात जिस पर प्रार्थीगण काबित काश्त है जिसकी नपती पत्थरगढी हो जाती है तो प्रार्थीगण को फसल की बुवाई कटाई के समय विपक्षीगण से सीमा बाबत जो विवाद बना रहता है वह हमेशा हमेंशा के लिए समाप्त हो जाएगाा तथा प्राथीगण शातिपूर्वक काश्त वगैरह व भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेंगे। अतः प्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला–राजसमन्द

की खातेदारी व कब्जे की उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सम्मन जारी किये गये। पत्रावल आज दिनांक को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा कैम्प सांगावास में पेश हुई प्रार्थी श्री बाबू सिंह,हेम सिंह,पूनम सिंह रावत एवं विपक्षी सं 3 मांगु सिंह रावत निवासी सांगावास उपस्थित शेश विपक्षीगण बावजुद सूचना उपस्थित नही जिससे उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी सं. 3 की और से अधिवक्ता श्री लूम्ब सिंह ने अपना वकालतनामा पेश कर पत्थरगढी किये जाने पर एतरात जाहिर किया कि कोई विवाद नही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया,पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सं 2069 से 2072 के अनुसार मौजा सांगावास अ पटवार सांगावास की कृशि भूमि आ.न. 144/2 रकबा 0.13 एवं आ.न. 306 रकबा 1.00 कुल किता 2 रकबा 1.13 बीघा भूमि का प्रार्थी श्री बाबू सिंह पिता पूरा हेम सिंह पिता उम सिंह पूनम सिंह पिता केशर सिंह रावत ,खातेदार काश्तकार है। खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सांगावास में स्थित प्रार्थीगण की भूमि आ.न.144/2 रकबा 0.13 एव आ.न 306 रकबा 1.00 कुल किता 2 रकबा 1.13 बीघा के पत्थरगडी के आदेश दिये जाते है तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसाा पत्थरगढी का शुल्क लिया जाकर उपरोक्त भूमि की पत्थरगढी करावे।

आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

देवगढ़